न्याय विभाग
DEPARTMENT OF
JUSTICE

दहेज प्रथा

दहेज प्रथा

विवाह का रिवाज

गतिविधि 1 : विषय पर चर्चा

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर

समय : 30 मिनट

कार्यप्रणाली : समूह कार्य, चर्चाएँ, प्रस्तुति, रोल प्ले

चरण 1 : कुछ प्रतिभागियों को आगे आने और दो परिवार बनाने के लिए कहें। एक परिवार लड़की पक्ष का और दूसरा लड़के पक्ष का। प्रत्येक परिवार में माता, पिता, भाई, बहन, चाचा, चाची आदि अवश्य होने चाहिए।

चरण 2 : लड़की के परिवार को शादी तय करने के लिए लड़के के परिवार के पास जाने और शादी के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा करने के लिए कहें।

चरण 3 : एक शादी में क्या व्यवस्था पर बात होती है उन पर खुल कर चर्चा करनी होगी।

चरण 4 : अन्य प्रतिभागियों से चित्रित परिदृश्य को देखने के लिए कहें और उन बिंदुओं को नोट करें जो उन्हें लगता है कि चर्चा के लिए महत्वपूर्ण है।

चरण 5 : उन सभी को बैठने के लिए कहें और प्रतिभागियों से पूछना शुरू करें कि इस भूमिका निभाने का उद्देश्य क्या था।

चरण 6 : एक–एक कर सभी की बातों को एक चार्ट पेपर पर लिखते रहें, और सभी उत्तरों के अंत में चर्चा शुरू करें जो विषय के इर्द–गिर्द घूमती है।

सुविधाप्रदाता मार्गदर्शन

दहेज वह संपत्ति (धन, गाड़ी, जमीन या अन्य कोई वस्तु) है जो विवाह के समय वधु के परिवार की ओर से वर पक्ष को दी जाती है। यह प्रथा एक लम्बे अरसे से चली आ रही है। वैसे तो वधु पक्ष द्वारा अपनी मर्ज़ी से दहेज देने का उद्देश्य यह होता है कि वे अपनी बेटी के सुख के संसांधनों को विवाह के समय बेटी को उपहार स्वरुप देते हैं। परन्तु यह कुप्रथा या अपराध तब बन जाती है जब वर पक्ष द्वारा अनुचित रूप से या कोई दबाव बनाकर ऐसी मांगें रखी जाती है जो वधु पक्ष के लिए देना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में वधु पक्ष कर्ज तले दब जाता है। या फिर मांग पूरी न होने पर वर पक्ष द्वारा

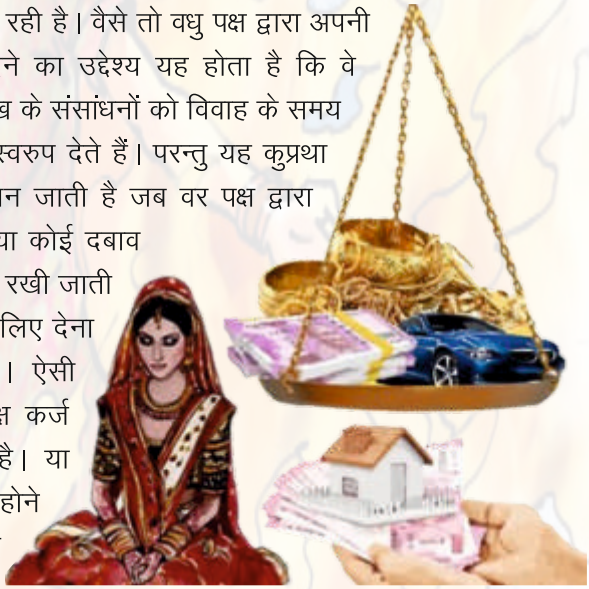

कई सालों तक वधु का उत्पीड़न किया जाता है।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दहेज प्रथा केवल हिन्दू धर्म में ही व्याप्त एक कुरीति नहीं है। अन्य धर्मों एवं देशों में भी यह कुरीति व्याप्त है।

दहेज प्रथा के कारण :

पुराने रीति रिवाज (Old customs) : लोग दहेज लेने के लिए अब पुराने रीति रिवाजों (Customs) का सहारा लेते है और लड़की वालों से कहते है कि यह तो पुरानी परंपरा है आपको दहेज देना ही पड़ेगा। लेकिन अब उनको यह कौन समझाए कि पुराने समय में लोग अपनी इच्छा अनुसार उपहार दिया करते थे। लेकिन लोगों ने पुराने रीति रिवाजों को दहेज का चोला पहना करें अपना स्वार्थ (Selfishness) सिद्ध कर रहे है।

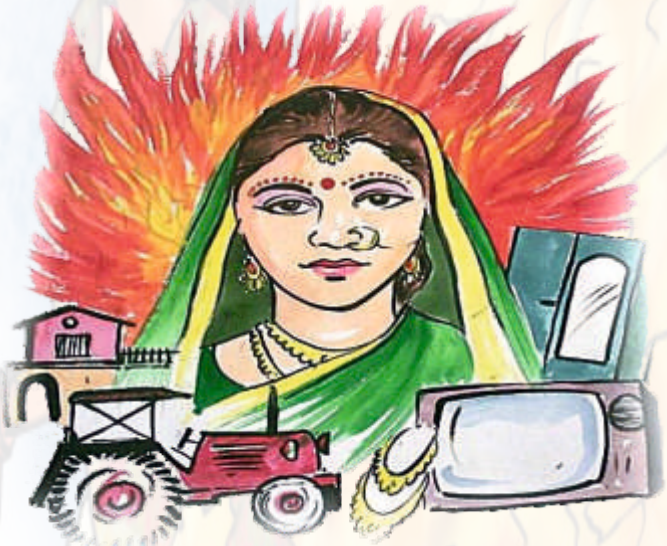

दहेज मान – सम्मान का विषय (Dowry values & a matter of honor) : वर्तमान (Present) में दहेज को लोगों ने अपने मान सम्मान का विषय बना लिया है जिसको जितना ज्यादा दहेज मिलता है लोग उसका

उतना ही सम्मान करते है जिसके कारण दहेज प्रथा को और बढ़ावा मिल रहा है। लोग सोचते है कि अगर उन्होंने दहेज नहीं लिया तो समाज में उनका कोई सम्मान नहीं करेगा उनकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी इसलिए वह लड़की वालों से दहेज के लिए विशेष मांग रखते है। अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो भी रिश्ता तोड़ देते है या फिर शादी होने के बाद लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित (Tortured) करते है।

अशिक्षित लड़कियां (Uneducated girls) : लड़कियों के शिक्षित होने के कारण उनकी शादी नहीं हो पाती है। इसलिए कुछ लोग अशिक्षित लड़कियों से शादी (Marry illiterate girls) करने के लिए तो तैयार हो जाते है लेकिन वह कहते है कि हम इसकी जिंदगी भर देखभाल (Care) करेंगे इसलिए हमें आप दहेज के रूप में कुछ सहायता प्रदान करें। वह सहायता के नाम पर अपनी लालच (greed) की अभिलाषा (desire) को पूरा करते है। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए क्योंकि यह लोग दहेज मिलने के बाद भी लड़कियों को प्रताड़ित करते रहते है।

पुरुष प्रधान समाज (Male dominated society) : भारत में पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाओं को अपनी बात रखने का कोई अधिकार नहीं होता है। जिसके कारण दहेज

के लिए महिलाओं का शोषण होता है उन्हें मानसिक और शारीरिक (Mental and physical) रूप से प्रताड़ित किया जाता है। ताकि वे अपने घरवालों (Family members) से दहेज लेकर आए। महिलाओं को बचपन से ही यह समझा दिया जाता है कि पुरुषों की हर बात माननी चाहिए और उनका आदर सम्मान करना चाहिए इसी में उनकी भलाई है और यही उनका कर्तव्य (Obligation) है जिस कारण महिलाएं अपने आप को कमजोर मानती है। और इस दहेज रूपी महामारी का शिकार (Dowry epidemic victim) हो जाती है।

सांवला रंग या अन्य कोई विकार (Dark color or any other disorder) : लोगों की मानसिकता (Mindset) का इसी से पता लगाया जा सकता है कि आपने अखबारों (newspapers) या इंटरनेट पर देखा होगा कि शादी के विज्ञापनों में लिखा होता है कि सुंदर लड़की या लड़का चाहिए इससे यह साफ जाहिर होता है कि लोग सुंदर लड़कियों से ही शादी करना पसंद करते है। जिसके कारण सांवला रंग (Dark color) या अन्य कोई विकार होने पर उस लड़की से कोई शादी नहीं करता है इसलिए उसके

मां–बाप उसकी शादी करने के लिए दहेज की पेशकश करते है या फिर कई लोग लड़की शादी करने के लिए दहेज की विशेष मांग रख देते है। जिसके कारण दहेज प्रथा को बढ़ावा मिलता है।

दहेज प्रथा के दुष्परिणाम : –

दहेज प्रथा वर्तमान युग में एक गंभीर वैवाहिक समस्या है। इससे आए दिन अखबारों में नवविवाहित महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की खबरें पढ़ने को मिलती हैं। आज इस प्रथा के दोष सर्वविदित हैं। इसके प्रमुख दोष या दुष्प्रभाव इस प्रकार हैं : –

पारिवारिक कलह – दहेज प्रथा कई पारिवारिक संघर्षों और तनावों को जन्म देती है। दहेज कम होने पर नवविवाहिता को तरह–तरह के कष्ट दिए जाते हैं। उसे आए दिन दहेज की शिकायत दी जाती है। इससे नवविवाहितों में हीनता की भावना पैदा हो जाती है और उनका जीवन अत्यंत कष्टमय हो जाता है। इसके अलावा कई बार दहेज की रकम को लेकर पिता–पुत्र और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच भी लड़ाई हो जाती है।

बेमेल शादी – अधिक दहेज देने में असमर्थ, माता–पिता अपनी योग्य, सुंदर और गुणी बेटी का विवाह एक निरंकुश व्यक्ति से कर देते हैं। कुछ लोग

इस प्रथा के चलते अपनी छोटी बेटियों की शादी बूढ़ों से भी कर देते हैं। ऐसे बेमेल विवाह जीवन में कभी सफल नहीं होते। इस तरह के विवाह सामान्य रूप से विधवा विवाह जैसी समस्याओं को विवाह के विघटन की तुलना में अधिक गंभीर बनाते हैं।

ऋणग्रस्तता, आत्महत्या और शिशुहत्या – मध्यवर्गीय परिवारों के लिए लड़की की शादी के लिए दहेज का पैसा जुटाना मुश्किल होता है। इसके लिए उन्हें बड़ी मात्रा में कर्ज लेना पड़ता है और परिवार कर्जदार हो जाता है। कर्ज न चुका पाने पर कई बार आम आदमी सामाजिक निंदा के डर से आत्महत्या कर लेता है।

कई लड़कियां शादी न कर पाने के कारण घरवालों की चिंता का सबब भी बन जाती हैं। जीवन से निराश होकर आत्महत्या भी कर लेते हैं। इससे पहले कुछ जगहों पर बच्ची के पैदा होते ही उसे मार दिया जाता था।

विवाह का व्यावसायीकरण – दहेज प्रथा ने विवाह के पवित्र आदर्शों का व्यवसायीकरण कर दिया है। आज दहेज की चाहत इतनी बढ़ गई है कि शादी से पहले लड़के की सौदेबाजी होने लगी है। यह विवाह संस्कार पर गहरा आघात है।

निम्न जीवन स्तर – दहेज के कारण कई परिवारों का जीवन स्तर गिर जाता है। अपनी बेटियों को दहेज देने के लिए माता–पिता को अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा जमा करना पड़ता है। इससे परिवार का जीवन स्तर स्वतरू ही गिर जाता है।

अविवाहित लड़कियों की संख्या में वृद्धि – दहेज प्रथा के कारण कई लड़कियां अविवाहित रह जाती हैं। परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण शादी न कर पाने वाली कई शिक्षित लड़कियां मानसिक मंदता का शिकार हो जाती हैं।

बाल विवाह को बढ़ावा – दहेज प्रथा बाल विवाह को बढ़ावा देती है। इसका कारण यह है कि बाल विवाह में अधिक दहेज की मांग नहीं होती है।

इस प्रकार बालिका का बाल विवाह माता–पिता के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक होता है।

कई समस्याओं के जिम्मेदार – दहेज प्रथा कई सामाजिक समस्याओं (जैसे स्त्री शिक्षा में बाधा, मानसिक असंतुलन, अपराध आदि) को भी जन्म देती है। इसी प्रथा के चलते आज कई शादियां टूट जाती हैं। कई माता–पिता और लड़कियां मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। कई लोग दहेज को मैनेज करने के लिए रिश्वत लेना, चोरी करना और कई अन्य बुराइयों को अपनाना शुरू कर देते हैं।

दहेज़ के लिए नियम और कानून : –

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी, 1860)

(1) आईपीसी के सेक्शन 498–ए के तहत, अगर हस्बैंड या ससुराल वाले दहेज़ की मांग करते है, तो 3 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है।

(2) सेक्शन 406 के तहत अगर लड़की का हस्बैंड या ससुराल वाले उसका स्त्रीधन उसे देने से मना करते है, तो जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है।

(3) अगर किसी लड़की की शादी होने के सात साल के अंदर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाये और जांच में साबित हो जाये कि मृत्यु से पहले उसे दहेज के लिए परेशान किया गया है। तो आईपीसी के सेक्शन304–बी के तहत, लड़की के हस्बैंड और ससुराल वालों को सात साल से लेकर जिंदगी भर की जेल हो सकती है।

धारा 304–B के तहत दहेज हत्या की अनिवार्यता (एसेंशियल्स)

1. मौत, जलने या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी अन्य कारण से हुई थी।
2. उसकी शादी के 7 साल के भीतर मौत हो जानी चाहिए थी।

3. महिला को पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना चाहिए।
4. दहेज की मांग के संबंध में और मृत्यु से ठीक पहले क्रूरता या उत्पीड़न होना चाहिए।

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (The Dowry Prohibition Act, 1961)

इस अधिनियम के माध्यम से दहेज देने और लेने की निगरानी के लिए एक कानूनी प्रणाली लागू की गई थी। इस अधिनियम के अनुसार, दहेज विनिमय की स्थिति में जुर्माना लगाया जाता है। सजा में न्यूनतम 5 साल की कैद और न्यूनतम 15,000 रुपये का जुर्माना या जो भी अधिक हो, के आधार पर दहेज की राशि शामिल है। दहेज की मांग भी उतनी ही दंडनीय है। दहेज के लिए कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष (Direct or indirect) मांग 6 महीने की कैद और INR 10,000 का जुर्माना हो सकता है।

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं का संरक्षण (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005)

कई महिलाओं को उनके ससुराल वालों की दहेज की मांग को पूरा नहीं

करने के लिए भावनात्मक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित Physical Tortured किया जाता है। इस तरह के दुरुपयोग के खिलाफ महिलाओं को सशक्त (Empower women) बनाने के लिए यह कानून लागू किया गया है। यह महिलाओं को घरेलू हिंसा Domestic violence से बचाता है। शारीरिक, भावनात्मक (Emotional), मौखिक, आर्थिक और यौन सहित सभी प्रकार के दुरुपयोग (Misuse) इस कानून के तहत दंडनीय (Punishable under law) हैं। विभिन्न प्रकार की सजा और दुरुपयोग की गंभीरता अलग–अलग होती है।

दहेज की शिकायत कौन कर सकता है?

किसी महिला को दहेज लेने देने अथवा दहेज के लिए उत्पीड़न किए जाने पर निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है –

- दहेज की शिकायत दहेज की मांग से पीड़ित महिला उनके

माता–पिता अथवा अन्य रिश्तेदार इसकी शिकायत कर सकते हैं।

- इसके साथ ही दहेज उत्पीड़न की शिकायत कोई पुलिस अधिकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई स्वयंसेवी संस्था भी कर सकती हैं।
- दहेज उत्पीड़न के मामले में यदि अदालत को जानकारी मिलती है। तो वह खुद भी कार्रवाई शुरू कर सकती है।
- दहेज के मामले में रिपोर्ट लिखाने की कोई समय सीमा नहीं निर्धारित है। इसकी शिकायत कभी भी की जा सकती है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए। कि आप जल्द से जल्द मामले की शिकायत की जाए।
- यदि एक बार दहेज मामले की शिकायत अथवा मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। तो समझौता होने पर भी शिकायत वापस नहीं ली जा सकती है।

दहेज की शिकायत किससे और कहाँ करें?

दहेज उत्पीड़न की शिकायत प्रताड़ित महिला उनके सगे–संबंधियों एवं आसपास के व्यक्तियों द्वारा नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं –

- अपने नजदीकी पुलिस थाने से
- नजदीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से
- राज्य या राष्ट्रीय महिला आयोग से
- तहसील, जिला, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क परामर्श / विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

टोल फ्री / हेल्पलाइन	नम्बर
समाधान शिकायत निवारण प्रकोष्ठ	18001805220
महिला हेल्पलाइन	1090
पुलिस	100

वन स्टॉप सेंटर

हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की जानी है। इन सेवाओं में चिकित्सा सहायता, परिवहन और पुलिस से निपटने में सुविधा, कानूनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श और यदि आवश्यक हो तो अस्थायी आश्रय शामिल हैं।

Sl. No.	District Name	Sakhi-One Stop Centre Address	Contact Details
1.	Patna	One Stop Centre, Chajjubagh Executive Bungalow, Patna District, Bihar	9304264570
2.	Begusarai	One Stop Centre, Collectorate Campus, Above DM Begusarai office, Begusarai City, Begusarai District, Bihar	9771468005
3.	Gaya	Collectorate, Gaya District, Gaya-823001,Bihar	9771468011
4.	Araria	One Stop Centre, District Women Empowerment Office, Near-SDO Officer, Collectorate Araria-854311	9771468001
5.	Saharsa	One Stop Centre Collectorate campus, Saharsa-852201	9771468027
6.	Sitamarhi	One Stop Centre, Collectorate	9771468030

Sl. No.	District Name	Sakhi-One Stop Centre Address	Contact Details
7.	Jehanabad	One Stop Centre, Room No11, Ground Floor, Collectorate Campus, Jehanabad-804408	9771468014
8.	Bhojpur	One Stop Centre, KG Road, Dr. Rungta Gali, Madhubagh, Nawada (Lalatoli), Arah (Bhojpur) Pin-802301	9771468007

सवाल आपके जानकारी के लिए

न्याय विभाग, भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं

- **Website link-**
  https://doj.gov.in/designing-innovative-solutions-for-holistic-access-to-justice-disha/

- **How to use Tele Law-**
  https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s35d6646aad9bcc0be55b2c82f69750387/uploads/2023/07/2023070535.pdf

- **Nyaya Bandhu**
  https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s35d6646aad9bcc0be55b2c82f69750387/uploads/2023/07/2023070542.pdf

- **PAN India Legal Literacy and Ligal Awareness Link-**
  https://doj.gov.in/legal-literacy-legal-awareness/

- **Webinar details-**
  https://doj.gov.in/webinar/

- **YouTube Videos on different issues link (Ministry of Law and Justice)-**
  https://youtube.com/@ministryoflawandjustice2954

***

बिहार लोक प्रशासन
एवं
ग्रामीण विकास संस्थान

वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना

टेली : – 91–612–2452585

फैक्स : – 91– 612–2452586

ईमेल : vidhimitra.bipard@gmail.com

वेबसाईट : www.bipard.bihar.gov.in